विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 1014 दिनांक : 8/8/17

प्रति,

प्राचार्य,
शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय,
उज्जैन।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/192,दिनांक 30.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/**सम्बद्धता**/सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें"निर्णय लिया गया कि,शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन,में सत्र 2017–18,से पी. जी. डिप्लोमा इन योगा, तथा पी.जी.डी.सी.एस.ए. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से पी.जी.डिप्लोमा इन योगा, तथा पी.जी.डी.सी.एस.ए. पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये। "

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	पी.जी.डिप्लोमा इन योगा(एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	60
02.	पी.जी.डिप्लोमा इन कंम्प्यूटर साइंस एण्ड ऐप्लिकेशन(एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	60

शर्ते :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. सत्र 2017–18 प्रारंभ होने से पूर्व पाठ्यक्रम पी.जी.डिप्लोमा इन योगा एवं पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस एण्ड ऐप्लिकेशन हेतु एवं दो(02)–दो(02) शिक्षकों की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

03. पाठ्यक्रम पी.जी.डिप्लोमा इन योगा एव पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस एण्ड ऐप्लिकेशन से सम्बन्धित साठ(60)–साठ(60) पुस्तकें क्रय कर पुस्तकालय में रखे जाकर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

04. विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यादेश (आर्डिनेंस) संख्या–30 में पाठ्यक्रम का नाम "पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस एण्ड ऐप्लिकेशन" है। अतः और महाविद्यालय द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम का नाम पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन" है। अतः विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या –32 में पाठ्यक्रम के नाम एवं महाविद्यालय के द्वारा पाठ्यक्रम के नाम में अन्तर है। इस विसंगती को

निरंतर...02

दूर करने हेतु महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय अध्यादेश संख्या–32 के अनुसार ही पाठ्यक्रम का नाम "पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस एण्ड ऐप्लिकेशन" हो और इसी नाम के पाठ्यक्रम को सत्र 2017–18 से प्रारम्भ करने की अनुमति आयुक्त,उच्च शिक्षा म.प्र. शासन,भोपाल से दो माह में प्राप्त कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अवगत करावें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 1015

दिनांक : 8/8/17

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,शासकीय कालीदास कन्या स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर / वेबसाईट की ओर भेज कर निवेदन है कि,उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन। की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)